प्रेस नोट
दिनांक 27.08.2024, थाना को0 मनकापुर
जनपद गोण्डा।

थाना को0 देहात क्षेत्रान्तर्गत एक व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला करने के 01 आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय में पंजीकृत मु0अ0सं0-391/25, धारा 115(2),352,351(3),109(1) बीएनएस से सम्बन्धित नामजद आरोपी अभियुक्त जुगलाशरन तिवारी पुत्र भोला प्रसाद तिवारी को बैसन पुरवा चौराहा पर सागर पान भण्डार के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.08.2025 को वादी श्री हनुमान तिवारी पुत्र कृष्ण नरायन निवासी करनपुर थाना को0देहात जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0देहात में तहरीर दी गयी कि जमीन व छज्जा के विवाद को लेकर विपक्षी जुगलाशरन पुत्र भोलाप्रसाद द्वारा दिनांक 19.08.2025 की सुबह करीब 10.00 बजे लाठी- डण्डा व बांका से मारा पीटा था। वादी की तहरीर पर थाना को0 देहात में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। आज दिनांक 26.08.2025 को विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाए गए नामजद आरोपी अभियुक्त जुगलाशरन तिवारी पुत्र भोला प्रसाद तिवारी को बैसन पुरवा चौराहा पर सागर पान भण्डार के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त -

01. जुगलाशरन तिवारी पुत्र भोला प्रसाद तिवारी उम्र 58 वर्ष नि0 करनपुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 391/2025 धारा 115(2),352,351(3),109(1) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

1. उ0नि0 सन्तशरण यादव
2. हे0कां0 करन यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 27.08.2025

थाना परसपुर पुलिस द्वारा अपहरण करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–
पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के कम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दवाच्या के नेतृत्व में थाना परसपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–365/25, धारा 140(1),61(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 आरोपी अभियुक्तों– 01. ललित सिंह पुत्र राजेश सिंह को सिसई पुलिया के पास से, 02. राजेश सिंह पुत्र वंश बहादुर सिंह निवासीगण दुनिया पुरवा चंगेरी थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा को ढकिया पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

वादी अमित कुमार सिंह पुत्र बसन्त कुमार सिंह निवासी राजापुर, थाना परसपुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना परसपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि कि उसने 15.07.2025 को काजल पुत्री राजेश सिंह निवासी ग्राम चंगेरी थाना उमरी बेगमगंज से कोर्ट मैरिज किया था। दिनांक 17.08.2025 को वादी के घर पर उसकी पत्नी काजल को उसके पिता राजेश सिंह, भाई हिमांशु सिंह, अन्य रिश्तेदार रवीन्द्र सिंह, वीरेन्द्र सिंह व अज्ञात 3 व्यक्ति जबरन अल्टो गाड़ी व मोटरसाइकिल से उठा ले गये और कहीं छिपा दिया है। वादी की तहरीर पर थाना परसपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 27.08.2025 को थाना परसपुर पुलिस द्वारा घटना कारित करने के 02 आरोपी अभियुक्तों– 01. ललित सिंह पुत्र राजेश सिंह को सिसई पुलिया के पास से, 02. राजेश सिंह पुत्र वंश बहादुर सिंह निवासीगण दुनिया पुरवा चंगेरी थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा को ढकिया पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. राजेश सिंह पुत्र वंश बहादुर सिंह नि0 दुनिया पुरवा चंगेरी थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।
02. ललित सिंह पुत्र राजेश सिंह नि0 दुनिया पुरवा चंगेरी थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–365/25, धारा 140(1),61(2) बीएनएस थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 रवि प्रकाश यादव।
02. का0 राजेश यादव।
03. का0 अमित यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।